पुनर्चलन अवधि और ऑटो कवर की अवधि (जैसा कि ऊपर पैरा 9 में उल्लिखित है) समवर्ती रूप से चलेंगी अर्थात ऑटो कवर अवधि पुनर्चलन की अवधि को नहीं बढाती है।

13. अभ्यर्पण मूल्य

पॉलिसी का किसी भी समय अभ्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते प्रीमियम का भुगतान एक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए किया गया हो। चालू/चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा जो गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य या स्पेशल अभ्यर्पण मूल्य में से अधिक है।

आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन विशेष अभ्यर्पण मूल्य समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य पॉलिसी के तहत भुगतान किए गए कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक द्वारा गुणा किए गए कुल प्रीमियम के बराबर होगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं जिसमें पॉलिसी का अभ्यर्पण हुआ है और निम्नानुसार निर्दिष्ट की जाती हैं:

भुगतान किये गए कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी की अवधि					
	10	11	12	13	14	15
1	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%
9	80.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%
10	80.00%	80.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%
11		80.00%	80.00%	74.00%	70.00%	67.14%
12			80.00%	80.00%	75.00%	71.43%
13				80.00%	80.00%	75.71%
14					80.00%	80.00%
15						80.00%

ऊपर उल्लिखित प्रीमियम में कोई भी कर, पॉलिसी के तहत बीमालेखन निर्णय के कारण अतिरिक्त राशि और राइडर प्रीमियम यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।

14. कर

वैधानिक कर, यदि कोई हो, भारत सरकार द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाया जाता है या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण के कर कानूनों और समय-समय पर लागू कर की दरों के अनुसार होगा।

प्रचलित दरों के अनुसार लागू कर की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अलावा अलग से एकत्रित किया जायेगा। योजना के तहत देय लाभों की गणना के लिए भुगतान की गई कर की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. फ्री लुक अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी की आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी दस्तावेज़ की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर निगम को वापस कर सकता है। उस के प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा और अनुपातिक जोखिम प्रीमियम और स्टांप शुल्क (मूल पॉलिसी और राइडर के लिए, यदि कोई हो) की कटौती के बाद जमा प्रीमियम की राशि वापस करेगा।

16. अपवर्जन (exclusions)

आत्महत्या: - यह पॉलिसी अमान्य होगी यदि:

i) बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तारीख से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो निगम 80% प्रीमियम का भुगतान करने के अलावा किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू स्थिति में हो।

ii) बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तारीख से 12 महीने के भीतर आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी राशि जो मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए प्रीमियम का 80% हो या मृत्यु की तारीख पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, जो भी अधिक है, देय होगी। निगम किसी अन्य दावा स्वीकार नहीं करेगा। यह धारा चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हुई पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसी के तहत कुछ भी देय नहीं होगा।

नोट: ऊपर उल्लिखित प्रीमियम में कोई भी कर या अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी जो पॉलिसी के तहत बीमालेखन निर्णय और किसी भी राइडर प्रीमियम के कारण लिया गया हो।

आत्महत्या के कारण मृत्यु के मामले में ऑटो कवर के तहत छूट लागू नहीं होगी।

17. लाभ चित्रण :

यू.आई.एन.(UIN)	512N329V01
प्रवेश पर आयु:	35
पॉलिसी अवधि	15
प्रीमियम भुगतान विधि	Yearly
मूल बीमित राशि	1,00,000
वार्षिकृत(annualized) प्रीमियम राशि *	5116.00

वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत तक भुगतान किये गए प्रीमियम	वर्ष के दौरान मृत्यु/परिपक्वता की देय राशि					वर्ष के दौरान अभ्यर्पण मूल्य **
		गारंटीकृत	परिवर्तनीय		कुल योग		गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य
			परिस्थिति 1	परिस्थिति 2	परिस्थिति 1	परिस्थिति 2	
1	5116	100000	0	0	100000	100000	1535
2	10232	100000	0	0	100000	100000	3070
3	15348	100000	0	0	100000	100000	4604
4	20464	100000	0	0	100000	100000	10232
5	25580	100000	0	0	100000	100000	12790
6	30696	100000	0	2500	100000	102500	15348
7	35812	100000	0	3500	100000	103500	17906
8	40928	100000	0	4500	100000	104500	22218
9	46044	100000	0	5500	100000	105500	26969
10	51160	100000	0	6500	100000	106500	32158
11	56276	100000	0	7500	100000	107500	37785
12	61392	100000	0	8500	100000	108500	43851
13	66508	100000	0	9500	100000	109500	50356
14	71624	100000	0	10500	100000	110500	57299
15	76740	100000	0	11500	100000	111500	61392

* ऊपर दिखाए गए वार्षिक प्रीमियम में जी.एस.टी., बीमालेखन निर्णय के अंतर्गत लिए गए शुल्क और राइडर प्रीमियम यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

** विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय हो सकता है, अगर यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल है। गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य यह मानकर दिखाए गए हैं कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है।

टिप्पणियाँ:

i) यह चित्रण एक मानक जीवन पर (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) लागू होता है।

ii) उपरोक्त चित्रण में गैर-गारंटीकृत (परिवर्तनीय) लाभ की गणना इस प्रकार किया जाता है ताकि उसकी प्रक्षेपित निवेश दर की वापसी का अनुमान, क्रमशः 4% प्रति वर्ष (परिस्थिति1) और 8% प्रति वर्ष (परिस्थिति 2) के अनुरूप हों। दूसरे शब्दों में, इस लाभ का चित्रण तैयार करने में, यह माना जाता है कि निवेश पर वापसी की प्रक्षेपित दर जिसे एल.आई.सी. द्वारा, पॉलिसी की अवधि के दौरान अर्जित किया जा सकेगा, वह 4% प्रति वर्ष या 8% प्रति वर्ष भी हो सकता है। प्रक्षेपित निवेश दर की वापसी की गारंटी नहीं होती है।

iii) चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और अलग-अलग परिस्थितियों में लाभ की अधिकता के परिमाण निर्धारित करने में कुछ हद तक सक्षम हो सकें।

18. धोखाधड़ी, ग़लत बयानी और अपवर्तन: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार धोखाधड़ी, ग़लतबयानी और अपवर्तन से निपटा जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए कृपया समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 का संदर्भ लें।

19. किसी भी प्रकार की छूट (रिबेट) का निषेध (बीमा अधिनियम 1938 के खंड 41, के रूप में बीमा कानून अधिनियम 2015 द्वारा जारी किए गए (संशोधन)

1) कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने या नवीनीकरण करने या पॉलिसी को जारी रखने के लिए किसी भी छूट के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी कमीशन का पूरा या एक हिस्सा देने की पेशकश नहीं करेगा या पॉलिसी पर दी गई प्रीमियम की कोई छूट या कोई भी व्यक्ति जो बीमा लेने या नवीनीकरण करने या पॉलिसी को जारी रखने के लिए किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा , बशर्ते इस तरह की छूट की अनुमति बीमा कंपनी के प्रकाशित विवरणिका या तालिकाओं के अनुसार दी जा सकती है |

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति, दंड का भागीदार होगा जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

यह उत्पाद विवरणिका, योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दशार्ता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारी निकटतम सूक्ष्म बीमा इकाई से संपर्क करें।

कृपया नकली फ़ोन कॉल करने वालों से और धोखे की नियत से की गई गलत पेशकश से सावधान रहें

आई.आर.डी.ए.आई (IRDAI) बीमा पॉलिसी बेचने, बोनस की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं है। इस तरह के फोन कॉल को प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे पुलिस को इसकी सूचना दें|

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512

एल.आई.सी. की माइक्रो बचत

प्लान सं : 851 यू.आई.एन. 512N329V01

एक नॉन लिंक्ड, लाभ–सहित बंदोबस्ती सूक्ष्म बीमा बचत योजना

LIC/AR/18-19/24/SB/HIN

कॉल सेंटर सर्विसेस (022) 6827 6827
www.licindia.in पर विज़िट करें
हमें फॉलो करें LIC India Forever

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

IRDAI Regn. No. 512

ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी

एल.आई.सी.की माइक्रो बचत यू.आई.एन (UIN): 512N329V01
(गैर-लिंक्ड, सह-भागी, बंदोबस्ती सूक्ष्म बीमा योजना)

एल.आई.सी. की माइक्रो बचत एक नियमित प्रीमियम, गैर-लिंक्ड, सह-भागी सूक्ष्म बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का एक संयोजन प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार के लिए वित्तीय सहायता और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह योजना अपनी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता की जरूरतों का भी ध्यान रखती है।

1. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध

(यह योजना बिना किसी चिकित्सीय परीक्षण के केवल मानक स्वस्थ जीवनों के लिए उपलब्ध है)

अ) न्यूनतम मूल (बेसिक) बीमित राशि रु 50,000

आ) अधिकतम मूल बीमित राशि **प्रति जीवन**: रु 200,000 मूल (बेसिक) बीमित राशि Rs.5,000 / - के गुणकों में उपलब्ध होगा।

इ) प्रवेश पर न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (पूर्ण)

ई) प्रवेश पर अधिकतम आयु: 55 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

उ) पॉलिसी अवधि: 10 से 15 साल

ऊ) प्रीमियम भुगतान अवधि: पॉलिसी अवधि के समान

ए) परिपक्वता पर अधिकतम आयु: 70 वर्ष

* **व्यक्तिगत जीवन के लिए इस योजना के तहत जारी सभी पॉलिसियों के तहत कुल मूल बीमित राशि रु.2 लाख से अधिक नहीं होगी**।

जोखिम शुरू करने की तिथि: इस योजना के तहत जोखिम की स्वीकृति की तारीख से जोखिम तुरंत प्रारंभ होगा।

2. प्रीमियम का भुगतान

पॉलिसी की अवधि में प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, छमाही, त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर नियमित रूप से किया जा सकता है।

3. छूट अवधि

सभी प्रकार के प्रीमियम के भुगतानों के लिए एक महीने की, लेकिन 30 दिनों से कम नहीं की एक छूट अवधि की अनुमति होगी।

4. नमूना प्रीमियम दरें

निम्नलिखित प्रति सारणी वार्षिक प्रीमियम दरें(लागू करों में से कोई भी, यदि कोई हो) प्रति रु. 1000 / - मूल बीमा राशि:

उम्र/अवधि	10	12	15
18	85.45	68.25	51.50
25	85.55	68.35	51.60
35	85.90	68.80	52.20
45	87.60	70.75	54.50
55	91.90	75.40	59.80

5. भुगतान विधि के लिए छूट(रिबेट)

वार्षिक भुगतान विधि	तालिकाबद्ध प्रीमियम का 2%
अर्ध-वार्षिक भुगतान विधि	तालिकाबद्ध प्रीमियम का 1 %
त्रैमासिक भुगतान विधि	कोई नही
मासिक विधि के लिए तालिकाबद्ध प्रीमियम का 3% अतिरिक्त प्रीमियम लागू होगा।	

6. अत्यधिक बीमित राशि के लिए छूट(रिबेट)

मूल बीमित राशि	**छूट (रु.)**
रु.50,000 से रु. 1,45,000	कुछ नहीं
रु. 1,50,000 से रु. 1,95,000	मूल बीमित राशि का रु 1.50‰
रु. 2,00,000	मूल बीमित राशि का रु 2.00‰

7. लाभ

अ) **परिपक्वता लाभ**: पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, "परिपक्वता पर बीमित राशि" और लॉयल्टी एडिशन यदि कोई हो, देय होगी।

जहां "**परिपक्वता पर देय बीमित राशि**" मूल बीमित राशि के बराबर होगी।

आ) **मृत्यु लाभ** - पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो:

पहले पाँच वर्षों के दौरान मृत्यु पर: "**मृत्यु पर बीमित राशि**" देय होगी।

पांच पॉलिसी वर्षों के पूरा होने के बाद मृत्यु पर, लेकिन परिपक्वता की तारीख से पूर्व : "**मृत्यु पर बीमित राशि**" और निष्ठा वृद्धि, यदि कोई हो, देय होगी।

जहां "**मृत्यु पर बीमित राशि**" को निम्न में से सबसे अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है:

- वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना; या
- उपर दिए गए 7 (अ) में परिभाषित किए गए अनुसार परिपक्वता पर बीमित राशि
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली पूर्ण राशि, अर्थात मूल बीमा राशि।

मृत्यु लाभ, मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों के 105% से, कम नहीं होगा। ऊपर उल्लिखित प्रीमियम में कोई कर, बीमा-लेखन निर्णय के आधार पर लागू किए गये अतिरिक्त प्रभार व राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

8. लॉयल्टी एडिशन (निष्ठा वृद्धि)

निगम के अनुभव के आधार पर, इस योजना के तहत लॉयल्टी एडिशन, यदि घोषित की गई हो, निगम द्वारा निर्धारित दरों पर देय होगी |

चालू पॉलिसियों के मृत्यु और परिपक्वता दावों के मामले में, लॉयल्टी एडिशन देय होगी बशर्ते कि कम से कम पांच पूर्ण वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और पॉलिसी के पाँच वर्ष पूर्ण हुए हों।

चुकता पॉलिसियों के तहत मृत्यु या परिपक्वता दावों के मामले में तथा चालू एवं चुकता, दोनों पॉलिसियों के अभ्यर्पण संबंधी मामलों में, लॉयल्टी एडिशन देय होगी बशर्ते कि कम से कम पांच वर्षों के लिए प्रीमियम की अदायगी के साथ पांच पॉलिसी वर्ष पूरे किये गये हो और चुक्ता परिपक्वता बीमित राशि 50000 रुपये या उससे अधिक है। ऐसे मामलों में लॉयल्टी एडिशन, पूर्ण किये गए पॉलिसी वर्षों के लिए देय होगा जिनके दौरान पॉलिसी चालू स्थिति में थी। अभ्यर्पण के मामलों में, लॉयल्टी एडिशन केवल विशेष अभ्यर्पण मूल्य पर विचार किया जाएगा।

9. वैकल्पिक लाभ

इस योजना के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित दो वैकल्पिक राइडर उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक दोनों में से किसी एक को चुन सकता है।

अ) एल्.आय.सी. का दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता लाभ राइडर (यू.आई.एन. : 512B209V02):

बुनियादि योजना के प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय राइडर को चुना जा सकता है बशर्ते कि बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के तहत लाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। दुर्घटना से मृत्यु के मामले में इस राइडर के चयन किये जाने के स्थिति में, दुर्घटना लाभ राइडर बीमित राशि, मूल योजना के तहत मृत्यु लाभ के साथ-साथ एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली विकलांगता के मामले में (दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना लाभ बीमित राशि के बराबर की राशि का भुगतान 10 वर्षों में फैली मासिक किश्तों में किया जाएगा और दुर्घटना लाभ बीमित राशि के लिए भविष्य के प्रीमियमों के साथ, मूल बीमित राशि के हिस्से के लिए प्रीमियम जो पॉलिसी के तहत दुर्घटना लाभ बीमित राशि के बराबर है, माफ कर दिया जाएगा।

आ) एल.आई.सी. का दुर्घटना लाभ राइडर (यू.आई.एन: 512B203V03):

मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय राइडर विकल्प का चयन किया जा सकता है बशर्ते कि बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के तहत लाभ का संरक्षण, पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को दुर्घटना के कारण घटित मृत्यु के लिए चुना जाता है तो मूल योजना के तहत मृत्यु लाभ के साथ दुर्घटना लाभ राइडर बीमित राशि एकमुश्त देय होगा।

एल.आई.सी. का दुर्घटना से घटित मृत्यु अथवा विकलांगता लाभ राइडर या एल.आई.सी. के दुर्घटना लाभ राइडर के लिए प्रीमियम, मूल योजना के तहत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगा। राइडर की बीमित राशि मूल बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

उपरोक्त राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एल.आई.सी. के निकटतम सूक्ष्म बीमा इकाई से संपर्क करें।

10. पॉलिसी ऋण

यदि कम से कम 3 पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, तो पॉलिसी अवधि के दौरान, निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन ऋण का लाभ उठाया जा सकता है।

अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

- चालू पॉलिसीयों के लिए - 70% तक
- चुकता पॉलिसीयों के लिए - 60% तक

पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर जो ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू होता है, समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। (वित्त वर्ष 2018-19 में स्वीकृत ऋण पर , ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू ब्याज दर 10.42% है, जो छमाही देय है।)

ब्याज के साथ बकाया कोई भी ऋण, दावे की राशि से वसूल किया जाएगा, जब भी दावे का भुगतान किया जाना हो।

11. चुकता राशि

यदि एक वर्ष से कम के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और यदि किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के तहत सभी लाभ रियायती अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगे और कोई राशि देय नहीं होगी।

यदि कम से कम एक पूरे वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और यदि किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी मूल्य शून्य नहीं होगी बल्कि पॉलिसी चुकता पॉलिसी (paid-up policy) के रूप में जारी रहेगी। हालांकि, एक चुकता पॉलिसी के तहत जिसमें कम से कम तीन पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है, नीचे दिए गए ऑटो कवर की अवधि लागू होगी।

ऑटो कवर अवधि

भुगतान नीति के तहत "ऑटो कवर अवधि" नीचे दी गई अवधि के अनुसार होगी। यह ऑटो कवर की अवधि प्रथम अदत्त प्रीमियम के तिथि से शुरू होती है और इसमें रियायत अवधि शामिल होती है।

ऑटो कवर की लागू अवधि निम्नानुसार होगी:

(i) यदि कम से कम तीन पूर्ण वर्ष का लेकिन पांच वर्ष से कम के प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी के तहत किया गया है और किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है: छः महीने की ऑटो कवर अवधि उपलब्ध होगी।

(ii) यदि पॉलिसी के तहत कम से कम पाँच पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है: दो वर्ष का ऑटो कवर अवधि उपलब्ध होगी।

रियायत अवधि के पूरा होने के पश्चात लेकिन ऑटो कवर अवधि के दौरान, चुकता पॉलिसी के तहत देय लाभ निम्नानुसार होंगे:

(अ) मृत्यु पर: निम्न कटौती के बाद, मृत्यु लाभ का भुगतान जिस प्रकार एक चालू पॉलिसी के तहत देय है, (क) मूल पॉलिसी के अंतर्गत अदत्त प्रीमियम, ब्याज के साथ मृत्यु की तारीख तक और (ख) मृत्यु की तारीख से अगले पॉलिसी वर्षगांठ तक की मूल पॉलिसी के लिए शेष प्रीमियम, यदि कोई हो, देय होगा।

(आ) परिपक्वता पर: चुकता पॉलिसी के तहत परिपक्वता पर बीमित राशि, घटा दी जायेगी और इसे परिपक्वता चुकता बीमित राशि कहा जाएगा जो पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर बीमित व्यक्ति को देय होगी। परिपक्वता चुकता बीमित राशि [(भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या / देय प्रीमियम की कुल संख्या) x (परिपक्वता पर बीमित राशि)] के बराबर होगी, घटी हुई चुकता बीमित राशि के अलावा निष्ठा वृद्धि, की राशि यदि कोई हो, भी देय होगी।

ऑटो कवर अवधि की समाप्ति के बाद चुक्ता पॉलिसी के तहत देय लाभ निम्नानुसार होंगे:

(अ) मृत्यु पर: चुकता पॉलिसी के तहत मृत्यु पर बीमित राशि कम कर दी जाएगी जिसे मृत्यु चुकता बीमित राशि कहा जाएगा जो मृत्यु पर देय होगी। यह मृत्यु चुकता बीमित राशि [मृत्यु पर देय बीमित राशि X(भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या / देय प्रीमियम की कुल संख्या)] के बराबर होगी। मृत्यु चुकता बीमित राशि के अलावा, निष्ठा वृद्धि, यदि कोई हो, भी देय होगी।

(आ) परिपक्वता पर: चुकता पॉलिसी के तहत परिपक्वता पर बीमित राशि घटा दी जायेगी और इस राशि को परिपक्वता चुकता बीमित राशि कहा जाएगा, जो पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर बीमित व्यक्ति को देय होगी। यह राशि [(भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या / देय प्रीमियम की कुल संख्या) x (परिपक्वता पर बीमित राशि)] के बराबर होगी। परिपक्वता चुकता बीमित राशि के अलावा, निष्ठा वृद्धि , यदि कोई हो, देय होगी।

किसी भी स्थिति में ऊपर बताए अनुसार मृत्यु चुकता बीमित राशि या परिपक्वता चुकता बीमित राशि इस पॉलिसी के तहत अदा किये गए कुल प्रीमियम से कम नहीं होंगी।

राइडर लाभ, चुकता मूल्य अर्जित नहीं करेगा और यह लाभ रियायत अवधि से बाहर ऑटो कवर अवधि के दौरान जारी नहीं होगा और पॉलिसी के कालातीत होने की स्थिति में समाप्त हो जाएगा।

12. पुनर्चलन

अगर रियायती अवधि के अंत तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। प्रथम अदत्त प्रीमियम की तारीख से लगातार 2 वर्ष की अवधि के भीतर एक कालातीत पॉलिसी को पुनर्चलित किया जा सकता है या जैसा कि लागू उत्पाद विनियमों के तहत स्वीकृत है और परिपक्वता की तारीख से पूर्व, जैसा भी तथ्य हो, प्रीमियम के सभी बकाया प्रीमियमों का एकमुश्त भुगतान, ब्याज के उन दरों सहित जो भुगतान के समय पर निगम द्वारा (छः मासी चक्रवृति) निर्धारित किया जाता है, इसके अलावा, निरंतर बीमा- योग्य होने का प्रमाणन की आवश्यकता हो सकती है।

निगम मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या किसी कालातीत पॉलिसी के पुनर्चलन को अस्वीकार करने संबंधी अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन निगम द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही प्रभावी होगा और विशेष रूप से पॉलिसीधारक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

राइडर का पुनर्चलन के विकल्प को, अगर चयन किया जाता है, तो इस पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा और अलग से इस पर विचार नहीं किया जायेगा।